यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए मेरा बाल विवाह न करवाएँ। माहौल सुरक्षित बनाएँ।

दे ताली
बनेगी बात साथ-साथ

ब्रेकथ्रू

1090 वूमेन पॉवर लाइन

1098 चाइल्ड हेल्पलाइन

www.inbreakthrough.tv
Breakthrough India @

बाल विवाह भी यौन उत्पीड़न की तरह ही एक दंडनीय अपराध है।

दे ताली
बनेगी बात साथ-साथ

बाल विवाह निषेध अधिनियम

बाल विवाह 18 साल की आयु से कम के दो व्यक्तियों के बीच औपचारिक और गैर-औपचारिक बंधन है। इस रिवाज को मानव अधिकारों के दुरुपयोग के रुप में देखा जाता है क्योंकि ये जबरन शादी का ही एक रुप है। किसी भी 18 साल से कम आयु की लड़की या 21 साल से कम लड़के का विवाह, बाल विवाह कहलाता है और इसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

पोक्सो एक्ट

सरकार ने वर्ष 2012 में बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को रोकने के लिए एक विशेष कानून, 'पोक्सो एक्ट बनाया था - प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेज़ एक्ट यानी लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम। ये बच्चों को छेड़खानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में आता है। इसमें बच्चों के साथ होने वाले अपराध के लिए उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है।